झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संoसंo–8/गठन/110/2016/नoविoआo................................. दिनांक–.........................

5338
17/08/17

भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के गठन हेतु प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद–243 Q(1) के अनुसार वैसे शहरी क्षेत्र जो परिवर्त्तनीय शहरी क्षेत्र (संक्रमणशील शहरी क्षेत्र) हो, (ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के मध्य हो) को **'नगर पंचायत'** के रूप में, लघुत्तर शहरी क्षेत्र को **'नगर परिषद'** के रूप में तथा वृहत्तर शहरी क्षेत्र को **'नगर निगम'** के रूप में गठित किये जाने का प्रावधान है।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा–3 की उपधारा–(2)(अ) एवं धारा–8 की उपधारा–(1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार यदि संबंधित निकाय क्षेत्र की जनसंख्या एक लाख पचास हजार तथा उससे अधिक हो तो वृहतर शहरी क्षेत्र, नगर निगम के रूप में गठन किया जाना है।

2. संविधान में वर्णित प्रावधानों एवं इसके अनुरूप बनाये गये अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों के गठन में एकरूपता के उद्देश्य से वृहत्तर शहरी क्षेत्र, लघुत्तर शहरी क्षेत्र एवं परिवर्त्तनीय शहरी क्षेत्र के संबंध में शहरी क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, राजस्व, गैर–कृषि कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत, आर्थिक महत्व एवं इसी प्रकार के अन्य कारकों के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2006 के द्वारा **''शहरी क्षेत्र (मार्ग निर्देशिका निर्धारण) नीति, 2006''** बनायी गई है।

वर्ष 2011 के जनगणना के आकड़ो के आधार पर मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति की कुल जनसंख्या–2,23,805 है।

3. उल्लेखनीय है कि बिहार नगर निगम अधिनियम, 1978 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) की धारा–2 की उपधारा–(1) एवं (2) में किये गये प्रावधान के आलोक में गजट अधिसूचना संख्या–669, दिनांक–08.12.2005 के द्वारा पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिले के जमशेदपुर एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं जुगसलाई नगरपालिका के अधीन शहरी क्षेत्र एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को समाहित करते हुए जमशेदपुर नगर निगम के गठन हेतु "प्रारूप आदेश" निर्गत किया गया था।

4. जमशेदपुर नगर निगम के गठन से संबंधित उक्त प्रारूप आदेश के विरूद्ध टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(c) No.-517/2006 टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–23.06.2006 को पारित न्यायादेश के द्वारा गजट अधिसूचना संख्या–669 दिनांक–08.12.2005 को set aside कर दिया गया।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) No.-14926/2006, टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया है।

6. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में SLP (Civil) No.-14926/2006, टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य से उद्भूत Civil Appeal No.-467/2008, टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक–20.09.2014 को विभाग की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–15.12.2016 को पारित न्यायादेश में Civil Appeal No.-467/2008, टाटा स्टील लिमिटेड बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य निष्पादित किया जा चुका है।

8. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय–2 की धारा–3 (1), (2) धारा–4, धारा–5, धारा–6 एवं धारा–8 में वर्णित प्रावधान के आलोक में मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के मूल रूप को वृहतर शहरी क्षेत्र **(मानगो नगर निगम)** के रूप में घोषित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–201 दिनांक–09.01.017(गजट अधिसूचना–100 दिनांक–21.01.2017) द्वारा **"प्रारूप–आदेश"** निर्गत किया गया।

प्रारूप–आदेश पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए उपायुक्त, जमशेदपुर के पत्रांक–69/वि०, दिनांक–29.06.2017 द्वारा मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति को उसके मूलरूप में वृहतर शहरी क्षेत्र, मानगो नगर निगम के रूप में उत्क्रमित करने की अनुशंसा की गयी है।

9. अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद–243 Q(2), झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की अध्याय–2 की धारा–3 धारा–4, धारा–5, धारा–6 एवं धारा–8 तथा शहरी क्षेत्र (मार्ग निर्देशिका निर्धारण) नीति, 2006, में किये गये प्रावधान के आलोक में मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति को उसके मूल रूप में उत्क्रमित करते हुए वृहतर शहरी क्षेत्र, **मानगो नगर निगम** घोषित किया जाता है।

10. मानगो नगर निगम के गठन के उपरांत क्षेत्र के विकास एवं नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–3948 (अनु०) दिनांक–22.06.2017 में स्वीकृत मॉडल पद संरचना के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

11. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

12. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–11.08.2017 के मद संख्या–02 के रूप में प्रस्ताव पर स्वीकृति है।

विश्वासभाजन

17.8.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 /गठन/110/2016/न0वि0आ०/ 5338 राँची, दिनांक– 17/08/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

17.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 /गठन/110/2016/न0वि0आ०/ 5338 राँची, दिनांक– 17/08/17

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 /गठन/110/2016/न0वि0आ०/ 5338 राँची, दिनांक– 17/08/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।